

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या: 306 / आर0आर0के0-3 / सू0अ0अ0 / 2017

दिनांक: 29-08-2017

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5 के अन्तर्गत सभी प्रशासनिक इकाईयों एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी पदाभिहित किये जाने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा-5 में दिये गये प्राविधानों के आलोक में जिलाधिकारी कार्यालय, कलक्ट्रेट एवं तहसीलों हेतु निम्नवत् सहायक जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाते हैं-

क्र0	कार्यालय का नाम	सहायक जन सूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1-	जिलाधिकारी कार्यालय कलक्ट्रेट मेरठ।	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कलक्ट्रेट मेरठ।	नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मेरठ।
2-	तहसील मेरठ	प्रशासनिक अधिकारी	तहसीलदार मेरठ	उप जिलाधिकारी, मेरठ।
3-	तहसील मवाना	प्रशासनिक अधिकारी	तहसीलदार मवाना	उप जिलाधिकारी, मवाना।
4-	तहसील सरधना	प्रशासनिक अधिकारी	तहसीलदार सरधना	उप जिलाधिकारी सरधना।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(समीर वर्मा)

जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, राज्य सूचना आयोग, 7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 2- आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
- 3- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(नगर)/(वि0/रा0)/(भू0अ0)/(न्यायिक), मेरठ।
- 4- नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
- 5- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद मेरठ।
- 6- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, कलक्ट्रेट मेरठ।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
- 8- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कलक्ट्रेट मेरठ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(समीर वर्मा)

जिलाधिकारी, मेरठ।



306 P.R.K. 10/20 PM  
 Received in NITC  
 on 14/09/17  
 28